FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला– बून्दी (राज.)

सुगना बाई बनाम ब्रजमोहन

111/धवाधाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.8.21	दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92A,188, RT Act के तहत प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी के तहत वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने पेश किया। रीडर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा पत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.11.21 को पेश हो।	
10/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 में केम्प ग्राम पंचायत पीपल्या में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 15/11/2021 को पेश हो।	
15/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट फूलेता में आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक याचना वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। राजीनामा तस्दीक किया गया। संक्षेप मे वाद का कथन इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.8575 ग्राम लुहारपुरा मे [illegible] बृजमोहन ने अपना 1/4 हिस्सा [illegible] विक्रय पत्र के माध्यम से [illegible] मे बैनामा दिनांक 02-06-2005 को [illegible]र दिया था।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तथा कब्जा वादिया को संभला दिया था। यह कि प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त विवादित भूमि में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 बृजमोहन का नाम हटवा कर उसके स्थान पर अपने आपको खातेदार घोषित करवाकर उसका अमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायें। हमने वाद पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, राजीनामा प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: ग्राम लुहार पुरा पटवार मण्डल लुहारपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी के खाता सं. नया 25 पुराना 26 के खसरा सं. 21 रकबा 0.8575 भूमि पर से प्रतिवादी सं. 1 बृजमोहन के नाम की प्रविष्टि को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादिया को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में करे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के हिस्से में आयी भूमि पर कब्जा न करे जबरन बेदखल न करें और वादिया के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा [illegible] स्वयं करे और न किसी अन्य से करवायें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:08 IST
Reason: SelfAttested